August, 1978 to Rs. 180 w.e.f. 1st February 1979.

IV. *Export Quota and Exports:*—As in the preceding year, it has been decided to export India's full quota of 6.5 lakh tonnes under the International Sugar Agreement, during this year.

V. *Concessions for New Units and Expansions at High Cost:*—An inter-Ministerial Group constituted to revise the scheme of incentives to the newly established factories and expansion projects established at a high cost in the light of the changed conditions after decontrol has submitted its report and the same is under examination.

VI. *Credit Facilities:*— The Banking sector has been asked to arrange for a clear cash credit upto Rs. 25 lakh per factory specifically for liquidation of cane arrears and repairs to the equipment.

VII. *Export of Molasses:*—The Government have revised the policy of export of molasses by amending the Export Control (Order), 1977 thereby bringing the export of molasses under OGL-3. This revised policy is likely to benefit sugar facories as a larger quantity of molasses may be exported.

VIII. *Creation of Buffer Stock:*—It has been decided in principle to create a buffer stock of sugar, the modalities of which are under examination.

IX. *Export of Gur:*—As a measure of support to gur market, Government have allowed forward trading in the commodity from December, 1978 besides allowing free exports of gur with cash subsidy of Rs. 10 per quintal and without any quota restrictions.

X. *Loan to State Governments:*—A loan of Rs. 20 crores has also been advanced to Uttar Pradesh Government for clearance of cane arrears in respect of cooperative and public sector units in the State.

गन्ने की बकाया राशि निपटाने के लिये चीनी मिलों को अनुदान

3662. श्री सईद मुर्तजा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश के प्रत्येक राज्य में चीनी मिलो को अनुदान के रूप में कितनी राशि दी जाती है और सरकार उन मिलो के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है जिन्हें अनुदान प्राप्त होता है परन्तु वे किसानो को समय पर उनके गन्ने का भुगतान नही करती और उत्तर प्रदेश मे ऐसी चीनी मिलो की सख्या कितनी है जिन्होंने किसानो को समय पर गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं किया यद्यपि उन्हे अनुदान के रूप मे सरकार से धनराशि प्राप्त हुई और वर्ष 1978 और 1979 का मिलों द्वारा किसानों को गन्ने की बकाया राशि के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : भारत सरकार गन्ने की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए चीनी मिलो को कोई अनुदान नही देती है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर राज्य सरकार को 20 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था ताकि राज्य के सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटो के गन्ने की बकाया राशि का भुगतान किया जा सके। यह मालूम हुआ है कि गन्ने की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए यह धनराशि सबंधित यूनिटो को वितरित की गई है और उसे गन्ना उत्पादको को वितरित किया जा रहा है। ज्ञात हुआ है कि 15 फरवरी, 1979 को 1978–79 मौसम में खरीदे गये गन्ने के लिए उत्तर प्रदेश की चीनी मिलो द्वारा किसानो को देय राशि 33.3 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, पिछले मौसमो की देय राशि 13.6 करोड़ रुपये है।

भारत सरकार ने चीनी उपक्रम '(प्रबंध अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 के अधीन अपने अधिकार में की गई 8 चीनी मिलो को कुल मिलाकर 3 55 करोड़ रुपये का ऋण भी दिया है ताकि वे गन्ने की बकाया राशि समेत अपनी देय राशि का भुगतान कर सकें। उक्त राशि गन्ना उत्पादको मे वितरित की जा रही है।

Sea-Erosion in Kerala

3663. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) which are the coastal areas in the country badly affected by sea erosion;

(b) what are the measures taken by Government to prevent sea erosion;

(c) whether it is a fact that a State like Kerala where sea erosion is a